

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

संजय

बनाम

प्रभूराम वगैः

किस्म मुकदमा:- वाद पत्र धारा 188

मु0नं0 ८५९ सन् 2024

जीसीएमएस नं. 2024/1121

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुएतारीख
हुकम

28-10-2024

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री मधुसूदन अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.11.2024 को पेश हो।



(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना

26/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/11/24
को पेश हो।

9/11/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 22/11/25 को पेश हो।

22/11/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 20/12/25 को पेश हो।

20/12/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23/12/25 को पेश हो।

23/12 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/10/25
को पेश हो।



14/10/25

पत्रावली पेश की। पकुलाप अस्पष्टता
उकलण में सुनवाई हेतु बाल-बाल भाषण
लगवाई गयी। अस्पष्ट बाल-बाल भाषण
लगाने पर भी पकुलाप अस्पष्ट पत्रकारिता
में ही दृष्टि आयात्म गयी भाषण। अतः
कार्यवाही उकलण अदक दायी अदक
पेशी में स्वाधीन किया जाता है।
पत्रावली केवल सुमाट हीमल नम्वर
के कठ हीमल दफतर दायिल है।

निर्णय रत इजलास सुनाय त्रय।



(Signature)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नौमकाथाना (सीकर)